देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
देश के लिए.. अव्यवस्था के खिलाफ..
जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/tpf/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 23 मई 2020

पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का नतीजा;9 लोगो के गिरोह में से पुलिस ने एक को पकड़ा बाकी साथी और सरगना शहर में ठगी करते रहे

RTI-खुलासा

गत वर्ष स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस ने एक अंतरराजीय ठग गिरोह का राजफाश करते हुए,9 जनों के एक गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था|तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी चेनाराम चौधरी के अनुसार गत वर्ष की 3 मार्च को आजादनगर निवासी श्रीमती मंजू वर्मा से 2 अज्ञात ठग सूचना केन्द्र के निकट से बातों में उलझा झांसा देकर डेढ़ तोला वजनी सोने की चेन व 12 सौ रूपये की नकदी ठग ले गए थे, इसी तरह 13 जुलाई को पुर निवासी श्रीमती निर्मला जैन के साथ भी अज्ञात ठगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के समीप उसे झांसा देकर सोने-चांदी के गहने व 6 हजार की नकदी व मोबाइल ठग ले गए थे।दोनों वारदातों का तरीका एक होने एवं इस प्रकार की बढ़ती वारदातों को लेकर गंभीरता बरतते हुए पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र महावर ने एक टीम का गठन तत्कालीन एएसपी दिलीप सैनी, डीएसपी भंवर रणधीर सिंह के सुपरविजन में किया। टीम ने मुखबीर तंत्र एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेह के घेरे में आए इलियास हुसैन पुत्र नजरूद्दीन फकीर शाह (25) निवासी ठंड़ा नाला कोपा गुलरभोज (गदरपुर) उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ यह ठगी की वारदातें करना कबूल कर लिया। जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके आठ साथी तब से अभी भी फरार है|

ठग गिरोह के सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले

राहगीरों को झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाला यह गिरोह एक ही गांव का है। पुलिस को फरार आरोपियों नूर हसन, लताफत, रफाकत, फिरोज, मोहम्मद आरिफ, वजीर मोहम्मद, शौकिन राणा, रफाकत मेहठ सभी निवासी ठंडा नाला कोपा पोस्ट गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमपुर (उत्तराखंड) की तलाश है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन **समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

ये वारदातें कबूली

गिरफ्तार आरोपी इलियास हुसैन ने पुलिस पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, मदनगंज, किशनगढ़, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, कोटा व चित्तौड़ के मध्य हाईवे पर आगरा, मथुरा, झांसी, मुरैना, बरेली, गोरखपुर, बस्सी, अकबरपुर, सुल्तानपुर, गौंड़ा, आजमगढ़, इलाहाबाद, माओ, बहराइच, बरेली, पटना आदि शहरों में कई बार जाकर करीब 150 वारदातों को अंजाम देना कबूला है।

पुलिस की नाकामयाबी; 31 जुलाई को इलियास को गिरफ्तार किया जबकि उसके साथी भीलवाडा और आस-पास में ही सक्रीय थे और अन्य वारदातों को अंजाम देते रहे|

स्थानीय पुलिस द्वारा अपनी तरफ से तो इस गिरोह का खुलासा कर पिंड छुड़ा लिया परन्तु इस प्रकार की ठगी की वारदातों पर लगाम नहीं लगा सकी|चूँकि पुलिस के पास बहाना था कि ठग गिरोह उत्तराखंड का है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमे भेज रखी है परन्तु असलियत में इस गिरोह के अन्य सदस्य भीलवाडा और आस-पास के जिलों में ही सक्रीय थे|

सीआईडी अफसर बनकर वृद्ध के गहने उतरवाए

भीलवाड़ा (निसं.)। पुलिस चोरी, लूट और ठगी की वारदातों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। इसी के चलते बदमाशों के हौंसलें बुलंद हैं और वे, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर के सिंधुनगर इलाके में एक ठग ने खुद को सीआईडी अफसर बताकर वृद्ध के बीच-बाजार में गहने उतरवा लिए और गहनों को लेकर फरार हो गया। पुलिस अब सीसी टीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

कोतवाली सूत्रों के अनुसार, सी सेक्टर शास्त्रीनगर निवासी प्रभुदयाल शर्मा (75) दोपहर 12 बजे स्कूटर से बाजार की ओर जा रहे थे। इस बीच, सिंधुनगर में एक बाइक सवार युवक ने उन्हें रोका। बाइक सवार हेलमेट लगाये था। इसने खुद को सीआईडी ऑफिसर बताया और शर्मा से कहा कि वे, चेन और अंगूठी पहनकर बाजार में नहीं घूम सकते। गहने पहने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है। यह कहते हुए ठग ने प्रभुदयाल शर्मा के गले में पहनी चेन.के साथ ही अंगूठियां निकलवा कर रुमाल में रखवा दी। ठग ने शर्मा से नजर बचाकर रूमाल बदल लिया। वहीं शर्मा भी ठग की ओनर से दिए गए रुमाल को जेब में रखकर रवाना हो गए और ठग रफूचक्कर हो गया। पीड़ित ने सूचना केंद्र पहुंचने के बाद रूमाल चेक किया तो उसमें से गहने गायब थे। उन्होंने कोतवाली पहुंच कर वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

गिरोह का भंडाफोड़ होने के 2 महीने बाद 23/08/2019 को इसी तरह से वापस ठगी हुई

इसी गिरोह के अन्य सदस्यों ने शास्त्रीनगर के बुजुर्ग को दिनांक 23/08/2019 को निशाना बनाया|इस बार भी उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझा कर उनसे सोने की चैन और अंगूठी की ठगी कर ली|

स्थानीय पुलिस का गैर-जिम्मेदाराना रवैया

अपने साथ हुई इस ठगी की वारदात से विशुब्ध होकर बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाना चाही तो पहले पुलिस ने परिवाद देकर जाने को कहा|जब इस मामले में आला अधिकारीयों को बताया गया तो मजबूरन सिटी कोतवाली पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी|परन्तु जांच करने के नाम पर परिवादी को ही प्रताड़ित किया जाने लगा यहाँ तक की स्वयं के स्तर पर ही आस-पास की दुकानों से CCTV की फुटेज एकत्रित कर पुलिस को दी परन्तु पुलिस ने उन्हें देखने की जहमत भी नहीं उठाई|

स्थानीय पुलिस का रवैया देखिये, बिना जांच-पड़ताल किये महज दो महीने बाद ही मामले में एफ.आर. पेश कर दी|

क्या यह संभव है कि महज दो महीने में ही पुलिस किसी मामले में कार्यवाही करने से हाथ खड़े कर दे?मगर यह संभव किया भीलवाडा कोतवाली पुलिस ने,जिसने अपनी एफ.आर. में कहा कि पुलिस ने दो महीने जी-जान लगाकर वारदात को खोलने का प्रयास किया परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला और निकट भविष्य में भी पता लगने की कोई सम्भावना नहीं होने से मामला बंद करना ही उचित है|

जवाब मांगते सवाल?

1. कहाँ गया पुलिस का मुखबिर तंत्र?

पहले की दो वारदातों में पुलिस ने मुखबिर तंत्र,मोबाईल बीटीएस,सी.सी.टी.वी. आदि की मदद से वारदातों का खुलासा कर एक बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी,लेकिन क्या वजह रही कि इस मामले में पुलिस ने कोई मेहनत नहीं करना उचित समझा?

2. CCTV फुटेज में ठगी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जांच क्यों नहीं?

पीड़ित द्वारा उपलब्ध करवाई गयी CCTV फुटेज में ठगों द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पष्ट दिखाई दे रही है|जिसकी तहकीकात करने पर उसके नम्बर और मालिक का पता भी चल सकता था|परन्तु पुलिस ने मोटर साइकिल के बारे में जांच करने की कोई जहमत नहीं उठाई,यह भी पता नहीं लगाया कि मोटरसाइकिल का मालिक कौन है या फिर वो भी चोरी की है|

3. पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत

आखिर क्या वजह रही कि पुलिस ने महज दो महीने में ही मामले में एफ.आर. लगाना उचित समझा?इस घटना के बाद भीलवाडा और आस-पास के जिलों में भी कई वारदाते हुई है लेकिन इनके बावजूद पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपराधियों और पुलिस की सांठ गांठ की और इशारा कर रहा है|कहने वालों का तो यह भी कहना है कि यह गिरोह पुलिस के संरक्षण में ही वारदातों को अंजाम देता है|

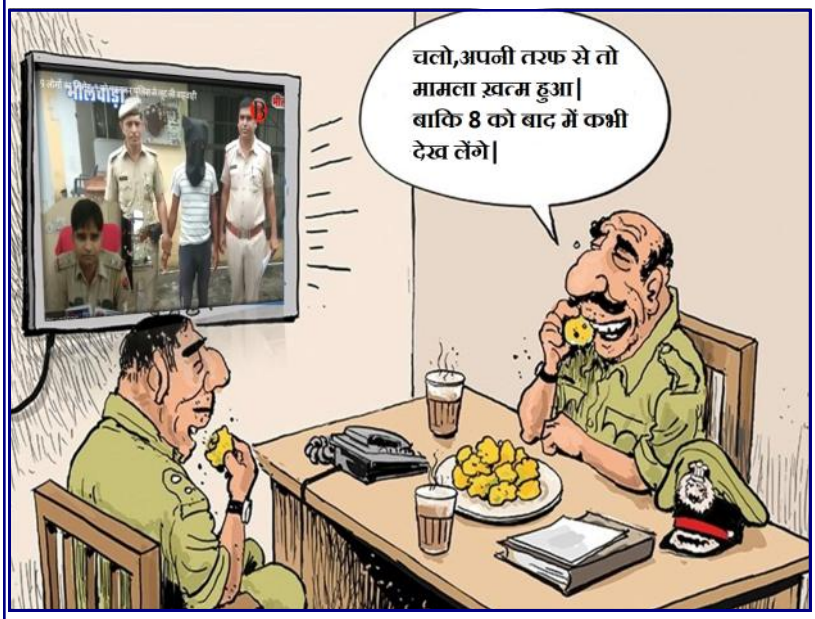

4. इलियास ही सरगना या फिर पुलिस-अपराधियों की सांठ गाँठ का मोहरा?

सूत्रों के अनुसार ठगी करने वाला यह गिरोह काफी समय से राजस्थान में ही सक्रीय है और जिस इलाके में अपराध करते है वहां की पुलिस को भी मैनेज कर लेते है|इलियास तो केवल एक मोहरा है जिसे आला अधिकारियों के दबाव के चलते कोतवाली पुलिस ने पकड़ने और मामले का दिखावटी पर्दाफाश करने के लिए गिरफ्तार किया है|जिसकी भी कुछ दिनों बाद जमानत भी करवा दी गयी|

5. यदि यह इलियास गैंग का ही काम था तो पुलिस ने यह मामला उससे क्यों नहीं जोड़ा?और अगर दुसरे गैंग का काम था तो पुलिस ने इसका पता क्यों नहीं लगाया?

अपराधियों की अपराध करने की थ्योरी के अनुसार एक इलाके में एक ही गिरोह सक्रीय रहता है,उसके सक्रीय रहने तक दूसरा गिरोह उस इलाके में वारदाते नहीं करता है|ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस थ्योरी का पता नहीं है बावजूद इसके, पुलिस ने ना तो इस वारदात को इलियास गैंग से जोड़ा और ना ही नए गैंग का सुराग लगाया|

6. जब इलियास ने अलग-अलग राज्यों में 150 वारदाते करना कबूला तो उसकी जमानत क्यों होने दी?

सवाल यह उठता है कि यह एक अंतरराजीय गिरोह है इस गिरोह ने देश के अलग अलग राज्यों में 150 वारदात करना कबूला है तो पुलिस ने अन्य राज्यों की मदद क्यों नहीं ली और क्यों इस गिरोह के एक मात्र गिरफ्त अपराधी की जमानत होने दी|पुलिस की ढीली पैरवी की वजह से ही इस गिरोह के अन्य शातिर अपराधी और सरगना अभी भी खुले आम घूम रहे है और वारदातों को अंजाम दे रहे है|

7. कोतवाली पुलिस ने पहले सुचना क्यों नही उपलब्ध करवाई?

इस पूरे मामले में हमारे द्वारा भीलवाडा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की वारदातों से सम्बंधित कई बिन्दुओं की सुचना चाही गयी थी,परन्तु इसके बावजूद कोतवाली थाना द्वारा यह सुचना दी गयी की उनके थाना क्षेत्र में इस तरह की विगत दो सालों में कोई वारदात नहीं हुई है|जब इस मामले में राज्य सुचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया तब जाकर कोतवाली पुलिस द्वारा दो सालों में तीन वारदात होने की सुचना उपलब्ध करवाई गयी जिससे इस मामले में पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ|

हमने वारदात के बाद परिवादी को इलियास और उसके बाकी साथियों की तस्दीक करवाई थी परन्तु परिवादी के अनुसार अपराधी यह लोग नहीं है|पुलिस अपना काम कर रही है|

श्री कैलाश चन्द्र धाबाई,जांच अधिकारी,कोतवाली,भीलवाडा

कोतवाली पुलिस द्वारा मुझे कोई तस्दीक नहीं करवाई गयी| बल्कि मामले में महज दो महीने बाद ही एफ.आर .लगा दी|

श्री प्रभु दयाल शर्मा,परिवादी

सिटी कोतवाली भीलवाडा द्वारा दिया गया जवाब जिसमे विगत 2 सालों में महिलाओं,बुजुर्गों से ठगी करने की कोई वारदात नहीं होने की सुचना दी गयी है|

।। कार्यालय पुलिस थाना सिटी कोतवाली जिला भीलवाड़ा।।

क्रमांक 14609 दिनांक 2.10.19

सेवामें
श्रीमान पुलिस उप अक्षीक्षक महोदय
वृत शहर जिला भीलवाडा

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– श्रीमान अति0 पु0 अधीक्षक महोदय भील0 के आदेश कमांक 7196–97 दिनांकः–27.9.19 की पालना में ।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार नि0 खातीपुरा द्वारा चाही गई सुचना थाना हाजा सर्कल मे दिनांक 1.1.18 से 15.9.19 तक कि अवधि मे राहगीरो/ बुजुर्गो/महिलाओ से राह चलते /पार्को व अन्य सार्वजनिक स्थानो पर बिन्दु स0 01 लगायत 04 के सम्बन्ध मे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हो रिर्पोट श्रीमान की सेवामे प्रेषित है।

भवदीय
थानाधिकारी
थाना सिटी कोतवाली
भीलवाडा
PS कोतवाली भीलवाडा

13411
3-10-19

सूचना का अधिकार अधि-2005
के तहत प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय,भीलवाड़ा

प्रकरण 1:-परिवादी मंजू देवी वर्मा के साथ दिनांक 03/03/2019 को हुई ठगी और गिरोह के सदस्य की गिरफ़्तारी के बाद लगी FR की प्रति

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C
(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

महोदय जी,

वाक्यात् मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 3.3.2019 को प्रार्थीया श्रीमति मन्जुदेवी पत्नी श्याम लाल वर्मा जाति दरोगा उम्र 42 साल निवासी ई 136 बैरवा मोहल्ला कुम्भा सर्कल आजादनगर थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा राज0 ने उप0 थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि आज दिनांक 3.3.2019 को 4 बजे दुकान बंद करके सूचना केंद्र पर आ रही थी वहां पर दो आदमी मिले जिन्होंने बातों में उलझा कर चैन 1 1/2तोला की केस 1200 रु सारे मेरे ब्लू बैग में रखा दिए उसमें से एक ने कहा कि मैं हरिद्वार से आया हूं उसने मेरे से बोला कि मेरी जिंदगी से जुड़ी बातें बताई और आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं आपको लक्ष्मी जी का दोष है इसलिए यह सब आपके साथ हो रहा है यह सब ठीक हो जाएगा अगर 21 दिन के अंदर जैसा मैं कहूं जैसा कर लो उसके साथ एक आदमी और था उसको भी इसी तरह की बात बताई उसको भी 71 कदम चल कर आने को कहा उसके हाथ में 5 से 6 हजार रुपये थे जो कि मेरे को पकड़ाये थे और फिर 71 कदम चल कर आया फिर मेरे को यह कहा चैन और मंगलसूत्र और दो अंगूठी यह सब निकाल कर बैग में रख दो और यह बेग लंबे आदमी को दे दो और मैंने ऐसा ही किया और 10 कदम चल कर पीछे मुड़कर देखा तो दोनों गायब हो गए और मैंने आजाद चैक और फ्रेंड्स मेडिकल उधर आसपास देखा नहीं मिले इन अगयात दोनों ने मेरे साथ मेरे को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी से मेरे जेवरात ले गए उसके विरूद्ध कार्यवाही करवा और मुझे मेरे जेवरात मुझे दिलावे वगेरा रिर्पोट पर प्रकरण संख्या 125/19 धारा 406.420 भा0द0स0 में पंजीबद्व कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थीया श्रीमति मन्जु देवी तथा गवाह मोहम्मद आसीफ के कथन लिये जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर अज्ञात मुलजिमान की पतेरसी हेतु घटनास्थल के मोबाइल बीटीएस प्राप्त किये जाकर प्रकरण में अज्ञात मुल्जिमान की पतेरसी की गई मगर माल मुल0 का कोई पता नही चलने से जरिये एफ.आर. न0 73/2019 दिनांक 30.5.2019 को अदम पत्ता माल मुल0 में कता की गई। तत्पश्चात थाना हाजा पर प्रकरण हाजा जैसी ही घटना दिनांक 13.7.2019 को और घटित होने से थाना हाजा पर प्र0स0 367/2019 धारा 420भा0द0स0 में पंजीबद्व होने से उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान प्रकरण हाजा को रिआपेन कर पुनः अनुसंधान शुरु किया जाकर थाना हाजा के प्रकरण संख्या 367/19 के घटनास्थल से मोबाइल बीटीएस, तथा थाना कोतवाली चित्तोड़गढ सर्कल में भी ऐसी ही वारदात घटीत होने से थाना कोतवाली चित्तोड़गढ पर दर्ज प्र0स0 194/19 व 305/2019 धारा 420 भा0द0स0 की प्रथम सुचना रिपोर्ट तथा प्रकरण संख्या 305/19 के घटनास्थल के मोबाइल बीटीएस, प्राप्त कर साक्ष्य संकलन किये गये। तथा प्रकरण में संकलित साक्ष्यों, कॉल डिटेल, मोबाइल नम्बर, कैप कॉपी व बीटीएस एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर एवं प्र0स0 367/2019 धारा 420,120 बी भा0द0स0 में गिर0 मुल0 इलियास हुसैन पिता नजरूद्दीन फकीर शाह जाति मुसलमान उम्र 25 साल नि0 कोपा ठण्डानाला पो0 गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड से पुछताछ नोट पर गिर0 अभि0 इलियास हुसैन ने अपने साथियो के साथ मिलकर प्रकरण हाजा की घटना कारित करना पाया जाने से अभि0 ईलियास हुसैन को प्रकरण हाजा में अनुसंधान हेतु जरिये प्रोडेक्सन वारन्ट के जिला कारागृह भीलवाड़ा से अनुसंधान हेतु प्राप्त किया जाकर बाद पुछताछ अभि0 के खिलाफ धारा 406,420,120 बी भा0द0स0 का अपराध प्रमाणित होने से अभि0 इलियास हुसैन पिता नजरूद्दीन फकीर शाह जाति मुसलमान उम्र 25 साल नि0 कोपा ठण्डानाला पो0 गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को प्रकरण हाजा में धारा 41 (1)बी सीआरपीसी की पालना करते हुये बापर्दा गिरफतार किया जाकर अनुसंधान किया गया। अभि0 ईलियास हुसैन की सुचना 27 साक्ष्य अधिनियम पर घटनास्थल का मौका तस्दीक किया जाकर बाद तफतीश अभि0 इलियास हुसैन को पेश न्यायालय किया जिसे न्यायीक हिरासत में भेजा जाने पर प्रकरण में बापर्दा गिरफतार शुदा अभियुक्त इलियास हुसैन की शिनाख्त परेड कराई गई। तथा कानि0 संजयकुमार द्वारा घटनास्थल के पास की दुकानो एवं थाना भीमगंज पर लगे सीसीटीवी कैमरो से घटना के फूटेज प्राप्त कर फूटेज की सीडी तैयार कर पेश की जाने पर कानि0 के कथन लेखबद्व कर सीडी को शामील पत्रावली की गई।

प्रकरण हाजा के अनुसंधान से पाया गया कि गिर0 शुदा अभि0 इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के साथ उसके साथी मुल्जिमान अदम गिरफ्तार 1.नुरहसन पिता रोशनद्दीन मुसलमान, 2. लताफत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 3. रफाकत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 4. फिरोज पिता मोजुद्दीन मुसलमान, 5. आरीफ पिता कमालुद्दीन मुसलमान, 6. रफाकत मेरठ वाला पिता रफीक मोहम्मद मुसलमान व 7. वजीर मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद मुसलमान निवासियान कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ने मिलकर प्रकरण हाजा की प्रार्थीया को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी पुर्वक उसके पहने हुऐ गहने खुलवाकर गहने व रूपयो को पर्स में रखवाकर प्रार्थीया को 71 कदम बिना पिछे देखे सिधा चलने की कहकर अभियुक्तगण ने प्रार्थियां के गहने व रूपये लेकर फरार हो जाना पाया जाकर अनुसंधान से गिर.शुदा अभियुक्त इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ धारा 420, 120बी भा.द.स. का अपराध बाखूबी प्रमाणित पाया गया।

अतः प्रकरण हाजा में अदम गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1.नुरहसन पिता रोशनद्दीन मुसलमान, 2. लताफत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 3. रफाकत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 4. फिरोज पिता मोजुद्दीन मुसलमान, 5. आरीफ पिता कमालुद्दीन मुसलमान, 6. रफाकत मेरठ वाला पिता रफीक मोहम्मद मुसलमान व 7. वजीर मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद मुसलमान निवासियान कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 173(8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी रखा गया। तथा प्रकरण हाजा में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ चार्जशीट नं0 256/19 दिनांक 25.09.19 जुर्म धारा 420, 120बी भा.द.स. में कता की जाकर वास्ते कानूनी सलूक हेतू श्रीमान एसीजेएम

साहब न. 1 भीलवाडा की सेवा मे मार्फत श्रीमान ए.पी.पी. साहब भीलवाडा के पेश कर निवेदन है गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की सकूनत तस्दीक सही हो अभियुक्त न्यायालय आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में हैं जो बरोज पेशी उपस्थित न्यायालय होगा। कानुनी सलूक फरमावें।

प्रकरण 1:-परिवादी निर्मला देवी के साथ दिनांक 13/07/2019 को हुई ठगी और गिरोह के सदस्य की गिरफ़्तारी के बाद लगी FR की प्रति

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C
(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

महोदय जी,

वाक्यात् मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 13-07-2019 को प्रार्थीया श्रीमति निर्मलादेवी पत्नी प्रकाशचन्द्र जैन जाति जैन उम्र 62 निवासी म0न0 53 उपाध्याय मोहल्ला पुर थाना पुर जिला भीलवाड़ा राज0 ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मैं गॉव पुर से भीलवाड़ा खरीदारी हेतु आई थी खरीदारी के दौरान स्टेशन रोड सरकारी दरवाजे के पास एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते समय मुझे दो व्यक्ति मिले जिनको मैं नहीं जानती थी उन व्यक्तियों ने मुझे देखते ही बोला कि आप शक्ल से परेशान नजर आ रहे हो इसके लिए टोटका करना पड़ेगा जिस पर उन्होंने मुझसे अगरबत्ती मंगवाई और कहा आपके पास जितनी भी लक्ष्मी है उसको आपके पर्स में रख दो इस पर मैंने मेरे शरीर पर पहने हुए गहने चेन, दो अंगूठी कान की लड़ी व टॉप्स आदि उतार कर मेरे पर्स में रख दिए मेरे पास पहले से ही 6000रू0 नगद व एक जिओ कंपनी का मोबाइल काले रंग का जिसमें मेरे मोबाइल नंबर 9001912011 जिओ कंपनी की सिम लगा हुआ भी थे फिर उसने मुझे 51 कदम चल कर पीछे ना देखने की कहा व मेरा पर्स उस व्यक्ति ने ले लिया कुछ कदम चलने की बोलने पर मैं कुछ कदम चली व पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों व्यक्ति वहां पर मुझे नजर नहीं आए मेरा गहनों व रुपयों से भरा पर्स मेरे मोबाइल सहित लेकर फरार हो गये मैंने आसपास तलाश किया परंतु मुझे कोई नजर नहीं आया उक्त व्यक्तियों द्वारा मेरे साथ छल पूर्वक मेरे गहने व नकदी मोबाइल ले जाने की घटना की गई है कानुनी कार्यवाही करावे। वगेरा रिर्पोट पर प्रकरण संख्या 367/19 धारा 420 भा0द0स0 में पंजीबद्व कर अनुसंधान शुरू किया गया।

I.I.F.-V /एकीकृत जां

दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थीया श्रीमति निर्मला देवी तथा गवाह लक्की जैन के कथन लिये जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर अज्ञात मुलजिमान की पतेरसी की जाकर घटनास्थल के मोबाइल वीटीएस प्राप्त किये गये तथा प्रकरण हाजा की घटना से पुर्व मुल्जिमान द्वारा दिनांक 13.7.2019 को थाना कोतवाली चित्तोड़गढ सर्कल में भी प्रकरण हाजा जैसी ही घटना घटित करने से थाना कोतवाली चित्तोड़गढ पर प्र0स0 305/2019 धारा 420 भा0द0स0 होना पाया गया जिस पर थाना कोतवाली चित्तोडगढ के उक्त प्रकरण के घटना स्थल से मोबाईल से बी.टी.एस. तथा प्रकरण प्रथम सुचना रिपोर्ट प्राप्त किये जाकर प्रकरण में साक्ष्य संकलन किये गये। प्रकरण में संकलित साक्ष्यों, बी.टी.एस. से प्राप्त मोबाईल कॉल डिटेल, व प्राप्त मोबाइल नम्बर कैप कॉपी एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर जरिये विशेष टीम के प्रकरण हाजा में पतैरसी माल मुल्जिमान की जाकर अभियुक्त इलियास हुसैन पिता नजरूद्दीन फकीर शाह जाति मुसलमान उम्र 25 साल नि0 कोपा ठण्डानाला पो0 गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को दस्तयाब कर प्रकरण हाजा में पूछताछ की गयी। प्रकरण में संकलित साक्ष्य व बाद पूछताछ अभियुक्त इलियास हुसैन पिता नजरूद्दीन फकीर शाह जाति मुसलमान उम्र 25 साल नि0 कोपा ठण्डानाला पो0 गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ धारा 420,120 बी भा0द0स0 का अपराध प्रमाणित होने से इलियास हुसैन को बाद तफतीश प्रकरण हाजा में धारा 41 (1)बी सीआरपीसी. की पालना करते हुये बापर्दा गिरफतार किया गया। प्रकरण में बापर्दा गिरफ्तार अभियुक्त की मुताबिक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मौका तस्दीक किया जाकर फर्द मौका तस्दीक जुदा मुर्तिब किया गया। मशरूका माल बाबत तफतीश की जाकर अभि0 इलियास हुसैन को बाद तफतीश पेश न्यायालय किया गया जिसे न्यायालय आदेश से न्यायीक हिरासत में भेजा गया जिस पर प्रकरण में बापर्दा गिरफतार शुदा अभियुक्त इलियास हुसैन की शिनाख्त परेड़ कराई गई। तथा कानि0 संजयकुमार द्वारा घटनास्थल के पास की दुकानो पर लगे सीसीटीवी कैमरो से घटना के फूटेज प्राप्त कर फूटेज की सीड़ी तैयार कर पेश की जाने पर कानि0 के कथन लेखबद्व किये जाकर सीडी शामिल पत्रावली की गई तथा गिर0 शुदा अभि0 एवं उसके साथी आरोपीगण द्वारा प्रकरण हाजा की घटना से पुर्व में दिनांक 12.7.2019 को चित्तोड़गढ होटल नन्द प्लाजा मे ठहरने तथा दिनांक 13.7.2019 को थाना कोतवाली चित्तोड़गढ में भी प्रकरण हाजा के जैसी ही वारदात घटीत करने से थाना कोतवाली चित्तोडगढ के प्रकरण संख्या 305/19 की प्रमाणित प्रति तथा होटल नन्द प्लाजा से रिकार्ड प्राप्त कर होटल मालिक सतील आगाल के कथन लेखबद्व किये जाकर शामील पत्रावली किये गये।

प्रकरण हाजा के अब तक के अनुसंधान से पाया गया कि गिर0 शुदा अभि0 इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के साथ उसके साथी मुल्जिमान अदम गिरफ्तार 1.नुरहसन पिता रोशनद्दीन मुसलमान, 2. लताफत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 3. रफाकत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 4. फिरांज पिता मोजुद्दीन मुसलमान, 5. आरीफ पिता कमालुद्दीन मुसलमान, 6. शोकीन पिता छोटे लाल मुसलमान व 7. वजीर मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद मुसलमान निवासियान कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ने मिलकर प्रकरण हाजा की प्रार्थीया को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी पुर्वक उसके पहने हुऐ गहने खुलवाकर गहने व रूपयो को पर्स में रखवाकर प्रार्थीया को 51 कदम बिना पिछे देखे सिधा चलने की कहकर अभियुक्तगण गहने व रूपये लेकर फरार हो जाना पाया जाकर अनुसंधान से अभियुक्त इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ धारा 420, 120बी भा.द.स. का अपराध बाखूबी प्रमाणित पाया गया।

अतः प्रकरण हाजा में अदम गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1.नुरहसन पिता रोशनद्दीन मुसलमान, 2. लताफत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 3. रफाकत पिता नत्थूद्दीन मुसलमान, 4. फिरांज पिता मोजुद्दीन मुसलमान, 5. आरीफ पिता कमालुद्दीन मुसलमान, 6. शोकीन पिता छोटे लाल मुसलमान व 7. वजीर मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद मुसलमान निवासियान कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 173(8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी रखा गया। तथा प्रकरण हाजा में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त इलियास हुसैन पिता श्री नजरुद्दीन फकीर शाह मुसलमान नि. कोपा ठण्डा नाला थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ चार्जशीट नं0 257/19 दिनांक 25.09.19 जुर्म धारा 420, 120बी भा.द.स. में कता की जाकर वास्ते कानूनी सलूक हेतू श्रीमान एसीजेएम साहब न. 1 भीलवाडा की सेवा मे मार्फत श्रीमान ए.पी.पी. साहब भीलवाडा के पेश कर निवेदन है गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की सकूनत तस्दीक सही हो अभियुक्त न्यायालय आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में हैं जो बरोज पेशी उपस्थित न्यायालय होगा। कानुनी सलूक फरमावें।

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

नतीजा एफआर नं. 133/19 दिनांक 16.10.19 धारा 420 आईपीसी प्रकरण सं. 435/19 थाना कोतवाली भीलवाडा महोदयजी,

वाक्यात् मामला संक्षेप इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 23.08.19 को प्रार्थी श्री प्रभु दयाल शर्मा पिता श्री रामचंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 75 साल निवासी c 210 शास्त्री नगर थाना कोतवाली भीलवाड़ा ने एक रिपोर्ट उप. थाना होकर इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 23-8-2019 को मै हमेशा की भांति में मेरे स्कूटर पर घर से लेकर बाजार जाने के लिए निकला कि सिंधु नगर रोड पर पहुंचा कि समय 12:00 बजे के करीबन एक अज्ञात मोटरसाइकिल वाला हेलमेट लगाया हुआ आया और मुझे रोककर कहा कि मैं सीआईडी का अफसर हूं सोने की चेन और दो अंगूठी पहन कर शहर में नहीं घूमते और 5000 रुपये जुर्माना है जिस पर मैंने उसके कहे अनुसार दो सोने की अंगूठी हाथ से निकालकर व गले की सोने की चेन और हाथ घड़ी उतारकर मेरे रुमाल में रख दी व मेरे धोखा खाकर रुमाल को गांठ लगाकर मुझे दे दिया और वह वापस चला गया मैंने रुमाल की गांठ लेकर सूचना केंद्र चौराहे पर चला गया और मेरे दोस्त को बताया तो हम दोनों ने रुमाल खोलकर देखा तो उसमें दो सोने की अंगूठी व सोने की चेन नहीं मिली उक्त अज्ञात बदमाश द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी कर मेरी सोने की चेन व दो सोने की अंगूठियां ले गया कार्यवाही करवाये। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण स. 435/2019 धारा 420 भा.द.स. दर्ज कर तफ़्तीश शुरू की।

दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी श्री प्रभु दयाल शर्मा व गवाह श्री आशीष शर्मा व रविन्द्र कुमार के कथन लेखबद्व किये जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुखबीर मामुर किये जाकर पुर्व में सम्पत्ति संबंधित प्रकरणों में चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट शामिल पत्रावली किये गये। पुलिस जाप्ता की टीम गठीत कर माल मुल्जिमान की तलाश करायी गयीं। पुर्व में चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की जाकर पुछताछ नोट शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में भरसक प्रयास के बावजूद माल मुल्जिमान का कोई पता नही चल पाया है तथा निकट भविष्य में भी पता चलने की कोई सम्भावना नही है। प्रकरण को दर्ज हुये काफी समय चुका है, ऐसी सूरत में प्रकरण को पेण्डिग रखना बेशूदी होगी। फिलहाल दीगर मालयाति मुकदमात के साथ पतेरसी जारी रखते हुये एफ. आर. अदम पता माल मुल्जिमान में नतीजा कता करने का आदेश प्राप्त किया गया।

अतः एफ.आर. न॰ 133/19 दिनांक 16.10.19 अदम पता माल मुल्जिमान में कता की जाकर श्रीमान ए.सी.जे.एम. साहब संख्या 01 न्यायालय भीलवाडा की सेवा मे मार्फत श्रीमान सी.आ०. साहब शहर भीलवाडा के पेश कर निवेदन है, बाद अवलोकन एफ.आर. स्वीकारना फरमावें।

17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस): Date(दिनाँक):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि):

19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या): 2

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नकों की सूची): IIF-1.pdf,IIF-2.pdf

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name(नाम): Meghna Tripathi
Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No.(सं.):

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet .
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Kailash Chandra Dhabai
Rank(पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspecto
No.(सं.):